दिनाक 27.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–27/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना शिकारपुर</u>

लूट की घटना का अनावरण,

03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,

लगभग 25 लाख रूपये कीमत के लूट के 444.66 ग्राम सोने व 06 किलो 774 ग्राम चॉदी के आभूषण,

03 अवैध तमंचे 315 बोर, 06 जीवित कारतूस,

घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनॉकः 26/27.02.2021 की रात्रि थाना शिकारपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम सूचना के आधार पर ग्राम गिनौरा व कस्बा दादरी से 03 शातिर अभियुक्तो 1–राशिद 2–शाकिब 3–आस मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के लूट के 444.66 ग्राम सोने व 06 किलो 774 ग्राम चॉदी के आभूषण, 03 अवैध तमंचे 315 बोर, 06 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध बुलन्दशहर, गाजियाबाद, हापुड आदि जनपदो में लूट/डकैती व चोरी आदि के डेढ़–डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत है। दिनॉकः 03.12.2020 को थाना शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत व दिनॉकः 22.10.2020 को थाना ककोड़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशो द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शिकारपुर व थाना ककोड पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद आभूषण उक्त लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शिकारपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः–</u>

1–राशिद निवासी गिनौरा थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

2–शाकिब निवासी गिनौरा थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

3–आस मोहम्मद निवासी मोहल्ला आदर्शनगर कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगीः–</u>

1–लगभग 25 लाख रूपये कीमत के लूट के 444.66 ग्राम सोने व 06 किलो 774 ग्राम चॉदी के आभूषण,

2–03 अवैध तमंचे 315 बोर, 06 जीवित कारतूस,

3– घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद सुल्तानपुर/थाना कोतवाली नगर</u>

03 वाहन चोर गिरफ्तार,

चोरी की 15 मोटर साइकिले,

01 मोटर साइकिल की चेचिस बरामद।

दिनॉकः 27.02.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुड़वार नाका से 03 शातिर अभियुक्तो 1–शिवांश 2–आसिफ 3–अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 मोटर साइकिले, 01 मोटर साइकिल की चेचिस बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—शिवांश निवासी पूरेगंगा मिश्र थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर।

2—आसिफ निवासी नयापुरवा फरीदीपुर थाना गोशाईगंज जनपद सुल्तानपुर।

3—अक्षय कुमार निवासी मदारडीह थाना चॉदा जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगीः—

1—चोरी की 15 मोटर साइकिल,

2—01 मोटर साइकिल की चेचिस।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,

चोरी की 06 मोटर साइकिले,

चोरी के सोने चॉदी के आभूषण आदि बरामद

दिनॉकः 26.02.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आलापुर चौराहे से 04 शातिर अभियुक्तों 1—इरशाद 2—सुनील कुमार 3—रिन्कू 4—आशीष उर्फ शिवम् को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 06 मोटर साइकिले, चोरी के सोने चॉदी के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो भीड़ भाड़ वाले स्थानो से दो पहिया वाहनो को चोरी कर उनके नम्बर प्लेट बदलकर ग्राहक मिलने पर बेच देते है तथा इनके द्वारा बन्द पड़े मकानो की रैकी कर घरो में चोरी की घटनाये भी की जाती है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनॉकः 18.02.2021 को कोतवाली नगर बाराबंकी क्षेत्र में चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवालीनगर पर मु0अ0सं0—199/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों से बरामद सोने चॉदी के आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—इरशाद निवासी बडेला नरायनपुर थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।

2—सुनील कुमार निवासी तुलसीपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

3—रिंकू निवासी भवनियापुर थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।

4—आशीष उर्फ शिवम् निवासी दौलतपुर थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

बरामदगीः—

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल,

2—सोने चॉदी के आभूषण।

जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात

- **04 शराब तस्कर गिरफ्तार,**
- **लगभग 52 लाख रूपये कीमत की 700 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब,**
- **03 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 26.02.2021 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाइवे पर गॉव छितौनी के पास से 04 शराब तस्करो 1—सुनील 2—सोमबीर 3—करनैल 4—सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 52 लाख रूपये कीमत की 700 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 03 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः—</u>

1—सुनील निवासी शिवानी मण्डी जनपद भिवानी, हरियाणा।

2—सोमबीर निवासी बालाजी कालोनी जनपद भिवानी, हरियाणा।

3—करनैल निवासी अर्जुननगर जनपद पानीपथ, हरियाणा।

4—सोनू निवासी मोरखेड़ी जनपद रोहतक हरियाणा।

<u>बरामदगीः—</u>

1—लगभग 52 लाख रूपये कीमत की 700 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब,

2—03 चार पहिया वाहन

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—58</u>

25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,

दिनॉकः 26.02.2021 को थाना सेक्टर—58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छोटा डी पार्क—सेक्टर 62 से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सत्तन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर—58 पर पंजीकृत मु0अ0सं0—650/2020, धारा 406/420/467/468/471/506/120बी भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—58 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः—</u>

सत्तन निवासी पिथनपुरा थाना पिलखुआ जनपद हापुड।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

02 अभियुक्त गिरफ्तार,

लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 62 किलोग्राम अवैध गांजा,

09 हजार रूपये नगद बरामद

दिनॉकः 26.02.2021 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आशियाना अपार्टमेन्ट सोसाइटी शाहबेरी से 02 अभियुक्तों 1–एजाज 2–शिवम् को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 62 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ ।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–एजाज निवासी ग्राम गोटिया थाना जैथरा जनपद एटा।

2–शिवम् निवासी मठसेना जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगीः–

1–लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 62 किलोग्राम अवैध गांजा।

जनपद कौशाम्बी/थाना पूरामुफ्ती (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 02 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0–प्रथम जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पूरामुफ्ती पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में अभियुक्त कंचन को आजीवन कारावास की सजा 02 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एटीएसः कूट रचित प्रपत्र एवं शस्त्र लाइसेंसों पर शस्त्र एवं कारतूस खरीदकर उन्हें सप्प्लाई करने वाला 50 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त UP ATS द्वारा गिरफ्तार

पुलिस महानिरीक्षक, उ.प्र. आतंकवाद निरोधक दस्ता द्वारा 50,000 रूपये का पूर्व घोषित इनामिया अभियुक्त, उ.प्र.एटीएस के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में आज दिनांक 27.02.21 को देवघर, झारखण्ड से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

राज किशोर राय

1. राजकिशोर राय पुत्र स्व.चंद्रदेव राय

हाल पता रू बेलन बाजार, थाना–कासिम बाजार, जनपद–मुंगेर, बिहार

मूल पता रू ग्राम–कठघरा, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया, बिहार

निवासी–ग्राम–बिहुनी, थाना–बहादुरगढ़, जनपद–हापुड़

अभियुक्त राजकिशोर राय पुत्र स्व.चंद्रदेव राय मु.अ.सं.–10/17, धारा–420,467,468,471,120बी, व 29/30 आर्म्स एक्ट, थाना–एटीएस, लखनऊ में वांछित था स विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया था कि जनपद–कानपुर नगर के कुछ गन हाउसों के द्वारा कूट रचित प्रपत्रों एवं शस्त्र लाइसेंसों पर शस्त्रों एवं कारतूसो की बिक्री की गयी है स अभियुक्त राजकिशोर राय ने अन्य व्यक्तियों के नाम पते से बनवाए गए शस्त्र लाइसेंसों पर कुल 04 रायफल .315 बोर IOF (इन्डियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री) मेड मय 40 कारतूस, 01 DBBL बन्दूक 12 बोर मय 10 कारतूस पूर्वांचल गन हाउस एवं ए.के. नियोगी एंड कंपनी कानपुर से खरीदे थे स अभियोग पंजीकृत होने के बाद से ही पुलिस को राजकिशोर की तलाश थी और आज दिनांक 27.02.21 को UP ATS द्वारा अभियुक्त राजकिशोर को झारखण्ड के देवघर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को सम्बंधित माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड लिया जा रहा है तदोपरांत अभियुक्त को लखनऊ लाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी

––––